झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे०सी०ई०सी०ई०बी० / 88 / 18–61 ,राँची / दिनांकः 18 / 07 / 2019

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष–2019–20 में नामांकन के निमित्त द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

राज्य के सभी, N.C.V.T. से मान्यता प्राप्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 8वीं तथा 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके आवेदकों से पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्याः जे०सी०ई०सी०ई०बी० / 88 / 18–13, राँची दिनांक 02.05.2019, विज्ञापन संख्या : जे०सी०ई०सी०ई०बी० / 88 / 18–24 दिनांक–02.06.2019 एवं विज्ञापन संख्या : जे०सी०ई०सी०ई०बी० / 88 / 18–31 दिनांक–11.06.2019 के आलोक में प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन पत्रों में अंकित प्राप्तांकों के आधार पर 8वीं एवं 10वीं कक्षा स्तरीय संशोधित एवं अंतिम मेधा सूची (Revised & Final Merit List) से पर्षद द्वारा दिनांक– 08.07.2019 से दिनांक–16.07.2019 तक प्रथम साक्षात्कार आयोजित किया गया। उक्त साक्षात्कार में अनुशंसित अभ्यर्थियों के द्वारा संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के उपरांत शेष रिक्त बचे सीटों पर नामांकन हेतु अनुशंसा भेजने के निमित्त दिनांक–25.07.2019 से 31.07.2019 तक द्वितीय साक्षात्कार आयोजित की जायेगी।

2. द्वितीय साक्षात्कार Computerized Multi Table Counselling के माध्यम से की जायेगी। संस्थान–वार / व्यवसाय–वार / कोटि–वार / कोटा–वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर “Live (Current) seat Matrix ” Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन / पुनर्आवंटन के लिये साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरान्त संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर संस्थान / व्यवसाय / सीट का चयन नहीं किये हैं।

3. प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्व आवंटित संस्थान / व्यवसाय / सीट के पुनर्आवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति, संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण–पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन–कौन से मूल प्रमाण–पत्र रखे गये हैं तथा संस्थान में जमा किये गये प्रमाण–पत्रों की छाया–प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा संस्थान / व्यवसाय / सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र में अंकित कोटि के अनुसार आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें संस्थान के प्रमुख द्वारा जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

4. साक्षात्कार हेतु कंडिका–12 के अनुसार बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/व्यवसाय/सीट का आबंटन किया जाएगा।

(क) आठवीं कक्षा परीक्षा का अंक पत्र तथा सबंधित विद्यालय के प्राध्यानाध्यपक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जिसमें अभ्यर्थी का जन्म–तिथि अंकित हो, **(ख)** दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण–पत्र, **(ग)** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित आठवीं या दसवीं कक्षा का संशोधित एवं अंतिम मेधा–सूची की अधःभारित (Download) प्रति जिसमें अभ्यर्थी का नाम दर्ज हो, **(घ)** झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी (Circle Office) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)}या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/ स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(ङ)** झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी (Circle Officer) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2015/का0– 1754 दिनांक–25.02.2019 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2015/का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। **(च)** आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखण्ड राज्य के उपायुक्त – सह–जिला दण्डाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी/ अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता /अनुमण्डल दण्डाधिकारी / सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/ अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आय और सम्पति प्रमाण–पत्र (Income & Assessts Certificate) प्रस्तुत करना है (छ) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प–2249 दिनांक 03.04.2018 के विहित प्रपत्र में चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। पुराने एवं अन्य प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे एवं **(ज)** सैन्य कर्मचारी कोटा (एस0एम0क्यू0) का लाभ लेने हेतु सक्षम सैन्य

पदाधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण–पत्र (सेवारत सैनिक के आश्रितों के लिए) या जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी आश्रित प्रमाण–पत्र, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र (सेवानिवृत सैनिक के आश्रितों के लिए)।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्णित स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पति प्रमाण–पत्र, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण–पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पति प्रमाण–पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/व्यवसाय/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

5. **साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential)है।**

6. साक्षात्कार शुल्क :– सामान्य/पिछड़ी जाति – I/पिछड़ी जाति – II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/– का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीकाः–

क) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाईट पर Downloads कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं० एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

या

ख) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "Controller of Examination, J.C.E.C.E.Board" के माध्यम से निर्गत हो तथा Ranchi में भुगतेय हो।

नोट(क) :– साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

7. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

8. साक्षात्कार स्थल :– **झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।**

9. दिनांक–25.07.2019 से दिनांक–31.07.2019 तक का साक्षात्कार, संयुक्त मेधा–सूची (Combined Merit List) क्रमानुसार कक्षा–वार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा EWS/ SC/ST/BC–I/BC-II/ PH/SMQ के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधा–सूची क्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए उपलब्ध संस्थानों/व्यवसायों/सीटों के साथ–साथ अपने आरक्षित

कोटि/कोटा के लिए उपलब्ध संस्थानों/ व्यवसायों /सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधा–सूची क्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य लावें।

10. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष–2019–20 में नामांकन के निमित्त आवेदकों द्वारा ऑन–लाईन माध्यम से जमा किये गये आवेदन पत्रों में प्रविष्ट प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर कक्षा–वार संशोधित एवं अंतिम मेधा–सूचियाँ तैयार की गई है। यदि किसी आवेदक के प्राप्तांक/प्राप्तांक प्रतिशत में अब भी त्रुटि पायी जाती है तथा तद्नुसार मेधा–सूची प्रभावित होती है तो आवेदन पत्र जमा करने से संबंधित विज्ञापन (संख्याः जे.सी.ई.सी.ई.बी./88/18–13, राँची दिनांक 02.05.2019) की कंडिका 2(ख) में अंकित निदेश के आलोक में वैसे सभी आवेदकों को, सीटें खाली रहने की स्थिति में, सबसे अन्त में मौका दिया जायेगा।

11. अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

12. द्वितीय साक्षात्कार कक्षा–वार अर्थात् 8वीं एवं 10वीं कक्षाओं के लिये निम्न कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जायेगी :–

CML Rank (संयुक्त मेधा–सूची क्रमानुसार) on the basis of class 8th

CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	595	25.07.2019/10:00 AM	All SMQ Candidates		25.07.2019 / 12:00 Noon

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, राँची द्वारा पत्रांक–5/प्रशि0(प्रशि0)–03/2018–745 दिनांक 07.05.2019 के माध्यम से दिये गये निदेश के आलोक में 8वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में शेष रिक्त बचे सीटों को 10वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

CML Rank (संयुक्त मेधा–सूची क्रमानुसार) on the basis of class 10th

CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	1,500	25.07.2019/12:30 PM	1,501	2,000	25.07.2019 / 03:00 PM
2,001	3,250	26.07.2019/10:00 AM	3,251	4,500	26.07.2019 / 01:00 PM
4,501	6,000	27.07.2019/10:00 AM	6,001	7,500	27.07.2019 / 01:00 PM
7,501	9,125	28.07.2019/10:00 AM	9,126	10,750	28.07.2019 / 01:00 PM
10,751	12,500	29.07.2019/10:00 AM	12,501	14,250	29.07.2019 / 01:00 PM
14,251	16,125	30.07.2019/10:00 AM	16,126	18,000	30.07.2019 / 01:00 PM
18,001	20,000	31.07.2019/10:00 AM	20,001	22,311	31.07.2019 / 01:00 PM
All SMQ Candidates		31.07.2019/04:00 PM			

नोट (ख) :– उपरोक्त सूचियों में सम्मिलित एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को कोटा के लिए आरक्षित सीटें, एस0एम0क्यू0 कोटा हेतु निर्धारित साक्षात्कार के दिन ही, प्राथमिकता कोड के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अगर वे चाहें तो संयुक्त मेधा–सूची क्रमानुसार सम्मिलित होकर उपलब्ध संस्थानों/व्यवसायों/सीटों में से मेधा–सह–ईच्छानुसार सीट आबंटन करा सकते हैं। बेहतर विकल्प हेतु एस0एम0क्यू0 कोटा के लिये आयोजित साक्षात्कार के दिन भी संस्थान/व्यवसाय/सीट का पुनर्आबंटन करा सकते हैं।

नोट (ग) :–दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों का आबंटन, संयुक्त मेधा–सूची क्रमानुसार ही किया जायेगा।

13. अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों तथा पहचान की छान–बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण–पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कर्रवाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की संयुक्त मेधा–सूची क्रम संख्या के समय उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन/पुनर्आवंटन, मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर, किया जायेगा। **साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।**

15. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती है अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

16. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधा–सूची कमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधा–सूची कमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/व्यवसायों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

17. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/व्यवसाय/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

18. **साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है।** आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

19. जिन अभ्यर्थियों के मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 12 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से वे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा तथा उपरोक्त कण्डिका 16 के अनुसार ही संस्थान/व्यवसाय/सीट चयन का अवसर दिया जाएगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

20. अभ्यर्थी द्वारा मेधा–सह–ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/व्यवसाय/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में, एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को छोड़कर, दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

21. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

22. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 9264473891/9264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(दिलीप कुमार झा, भा0प्र0से0)
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/88/18 – 465 ,राँची/दिनांकः 18/07/2019

प्रतिलिपिः–

परीक्षा शाखा को पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में भारित (Upload) करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक